



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग एक-ल

वर्ष ९, अंक ३२]

गुरूवार, जुलै २०, २०२३/आषाढ २९, शके १९४५

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६.००

असाधारण क्रमांक ४६

प्राधिकृत प्रकाशन

(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील
(भाग एक, चार-अ, चार-ब आणि चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त)
अधिसूचना, आदेश व निवाडे.

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय

“कामगार भवन” ई -ब्लॉक, सी-२०,
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू),
मुंबई ४०० ०५१, दिनांक १२ जून २०२३.

क्रमांक ग्रा.वि./कि.वे.अ/वि.भ./२०२३/कार्या-१०/७३८०/किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता मूळ किमान वेतन + विशेष भत्त्याची रक्कम = एकूण किमान वेतन दिनांक ७ जून २०२३ ते दिनांक ३० जून २०२३ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे.

| अ. क्र. | अनुसूचित उद्योगाचे नाव | कामगारांची वर्गवारी | परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये) | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | परिमंडळ-१ | | | | परिमंडळ-२ | | | | परिमंडळ-३ | | | |
| | | | किमान मूल वेतन दर (Basic Rate) | विशेष भत्याची रक्कम (प्रति महिना) | एकूण किमान वेतन | किमान मूल वेतन दर (Basic Rate) | विशेष भत्याची रक्कम (प्रति महिना) | एकूण किमान वेतन | किमान मूल वेतन दर (Basic Rate) | विशेष भत्याची रक्कम (प्रति महिना) | एकूण किमान वेतन | किमान मूल वेतन दर (Basic Rate) | विशेष भत्याची रक्कम (प्रति महिना) | एकूण किमान वेतन |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) | (१३) | (१४) | |
| १. | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग | १ | कुशल | | २१,८६० | ५३३ | २२,३९३ | २०,९९० | ५३३ | २१,५२३ | २०,९२५ | ५३३ | २०,६५८ | |
| | | २ | अर्धकुशल | | २०,३४५ | ५३३ | २०,८७८ | १९,४७५ | ५३३ | २०,००८ | १८,६१० | ५३३ | १९,१४३ | |
| | | ३ | अकुशल | | १९,२६५ | ५३३ | १९,७९८ | १८,४०० | ५३३ | १८,९३३ | १७,५३० | ५३३ | १८,०६३ | |

टिप.— दिनांक ७ जून २०२३ रोजी " रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग " या अनुसूचित उद्योगाच्या मूल किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने सदर अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विशेष भत्याची रक्कम सर्व परिमंडळांकरिता जाहीर करण्यात येत आहे.

सं. म. कानडे,
कामगार उप आयुक्त (ग्रा.वि.), मुंबई
व सक्षम प्राधिकारी
किमान वेतन अधिनियम, १९४८.